लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की कार्यवृत्त

वित्त समिति की दिनांक 18 मार्च, 2011 सायं 4:30 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:–

उपस्थिति

01.	प्रो0 एम. के. मिश्र,	कुलपति	{अध्यक्ष}
02.	प्रो0 यू. एन. द्विवेदी,	प्रति कुलपति	{सदस्य}
03.	श्री विद्यासागर शुक्ल,	विशेष सचिव {वित्त}, उत्तर प्रदेश शासन	{सदस्य}
04.	डा0 एस. अली,	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।	{सदस्य}
05.	प्रो0 यशवीर त्यागी,	परीक्षा नियंत्रक	{सदस्य}
06.	श्री जी. पी. त्रिपाठी,	कुलसचिव	{सदस्य}
07.	श्री राजवर्धन,	वित्त अधिकारी	{सचिव सदस्य}

बिन्दु संख्या –1

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2010 की कार्यबृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

बिन्दु संख्या –2

{क} लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक {आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत} के साथ–साथ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्वःवित्त पोषित पाठ्यक्रमों के आय–व्ययक पर विचारोंपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

{ख} लखनऊ विश्वविद्यालय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक {आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत} के साथ–साथ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के आय –व्ययक पर विचारोंपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–3

दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 को हुई कार्यपरिषद की बैठक के निर्णयानुसार 22 जुलाई, 2010 की वित्त समिति के बिन्दु संख्या –3 " डा0 उमेश कुमार शुक्ल, अतिथि प्रवक्ता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं डा0 अमरजीत यादव (कोर फैकल्टी) के नियत वेतन को बढ़ाकर शासनादेश संख्या–214/70–4/2000–7(7)/94 दिनांक 04 फरवरी, 2000 के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवक्ता के वेतनमान का मध्य स्तर या उससे अधिक या कम दिये जाने के प्रॉविधान के अन्तर्गत रू0 10,750/– प्रतिमाह किये जाने के प्रस्ताव को समिति ने इस आधार पर प्रकरण को स्थगित कर दिया कि इस सम्बन्ध में कार्य–परिषद के निर्णयानुसार गठित समिति की आख्या अभी प्राप्त नही हुई है।

बिन्दु संख्या –4

लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु तैयार किये गये आर्थिक चिट्ठे पर विचारोंपरानत समिति ने इस आशय के साथ सहमति प्रदान की कि सनदी लेखाकार द्वारा आर्थिक चिट्ठे में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।।

बिन्दु संख्या –5

दिनांक 31 जनवरी, 2011 को प्रति–कुलपति जी अध्यक्षता में हुई बैंठक जिसमें छात्र/छात्राओं तथा शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले Identity Cards का शुल्क रू0 25/– लिये जाने तथा Duplicate ID-Card के बनवाये जाने हेतु रू0 200/– शुल्क लिए जाने के प्रस्ताव पर समिति ने वित्तीय वर्ष 2011–12 से Identity Cards का शुल्क रू0 25/– लिये जाने तथा Duplicate ID-Card के बनवाये जाने हेतु रू0 100/– शुल्क लिए जाने पर सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या –6

मेडिकल प्रतिपूर्ति की धनराशि के सम्बन्ध में समिति ने वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस मद में प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 लाख से बढ़ाकर रू0 30.00 लाख किये जाने पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या –7

अधीक्षक निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा कला एवं शिल्प महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा विभिन्न संस्थानों से जलकर के रूप में लिए जाने वाली धनराशि के प्रस्ताव पर समिति ने निम्नानुसार जलकर लिए जाने पर सहमति प्रदान की:–

क्रम संख्या	शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी/संस्थान	प्रतिमाह रू0	वर्षिक रू0
1	शिक्षक आवास	100/–	–
2	शिक्षणेत्तर कर्मचारी	50/–	–
3	छात्रावास	–	25000/–
4	कैलाश छात्रावास	–	50000/–

{छात्रावासों में छात्र/छात्राओं की संख्या कम होने की स्थिति में मा0 कुलपति जी द्वारा जलकर हेतु पुनः विचार कर शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया}

बिन्दु संख्या –8

वित्तीय वर्ष 2010–11 में आई.एम.एस. तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम से सामान्य निधि खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि पर समिति ने सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

बिन्दु संख्या –1

लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु वर्तमान में लागू शुल्क दर की वृद्धि के सम्बन्ध में तैयार किये गये शुल्क अध्यादेश पर विचारोंपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या –2

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों एवं प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों हेतु वर्तमान में लागू शुल्क दर की वृद्धि के सम्बन्ध में तैयार किये गये शुल्क अध्यादेश पर विचारोंपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या –3

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा खोले जाने एवं परीक्षा भवन के भूतल पर स्टेट बैंक की शाखा खोले जाने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में रू0 90.00 हजार मात्र का आगणन अधीक्षक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित किया गया हैं जिस पर समिति ने विचार–विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया, साथ ही बैंक {यूको एवं एस.बी.आई} से किराया निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि किराए की दर डी.एम. सर्किल रेट के आधार पर ही सुनिश्चित की जाएं।

बिन्दु संख्या–4

दिनांक 22 जुलाई, 2010 को सम्पन्न हुई वित्त समिति के एजेन्डे में अन्य बिन्दु संख्या –3 में एम.बी.ई. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लिए गये निर्णय में कॉट्रेक्ट पर लेक्चरर के दो पद दर्शाए गये है जबकि निदेशक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में एक पद लेक्चरर तथा एक पद प्लेसमेण्ट कोआर्डिनेटर {संविदा} के आधार पर मॉग की गयी थी, जिसके अन्तर्गत निदेशक, एम.बी.ई., लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 01.03.2011 पर पुनर्विचार हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर निम्नानुसार संशोधन किये जाने पर अनुमति प्रदान की:–

क्रम संख्या	विवरण	पदों की संख्या	पूर्व में स्वीकृत मानदेय	वर्तमान में स्वीकृत मानदेय {प्रतिमाह}
1	लेक्चरर {कन्ट्रेक्ट पर}	एक	10750/–	18000/–
2	प्लेसमेण्ट कोआर्डिनेटर कम लेक्चरर {कन्ट्रेक्ट पर}	एक	10750/–	18000/–

बिन्दु संख्या–5

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में मा0 लाल जी टण्डन के सांसद निधि से बनवाए गये कल्याण मण्डप को शादी–विवाह एवं अन्य अवसरों हेतु दिये जाने पर किराए के सम्बन्ध में कार्य–अधीक्षक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर समिति ने प्रतिदिन बिजली हेतु लेसा द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के आधार पर {जो इस समय रू0 2900/– मात्र है} तथा लॉन का किराया रू0 4500/– किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

मा0 अध्यक्ष जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

{प्रो0 यशवीर त्यागी}
परीक्षा नियंत्रक

{जी. पी. त्रिपाठी}
कुलसचिव

{विद्यासागर शुक्ल}
विशेष सचिव {वित्त},
उ0प्र0 शासन।

{राजवर्धन}
सचिव सदस्य

{डा0 एस. अली}
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

{प्रो0 यू. एन. द्विवेदी}
प्रति–कुलपति

{प्रो0 एम. के. मिश्र}
कुलपति